

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनाम जमाती डी  
 क्रिस्म मुकदमा जा.पत्र अस्थायी निषेध नं. 103/2016 सन 10/2/2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
17-03-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौर/अन्य कार्य में व्यस्त/प्रेजेंट में हैं। पत्रावली वाले खगम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>12-05-25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
12.05.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी वकूलाय उभय पक्षकारान् में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकूलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिती में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बर तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i>                  ( अनिल कुमार )                  उपखण्ड अधिकारी                  श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>

